

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(23)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 13/9/21

:: आदेश ::


दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री रमेश कुमार सोलंकी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं 0 आर/1272/99) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, जालौर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जालौर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 17,640/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

३०  
(हिमांकनी गौड़)  
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजरथान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालौर।
- 8 अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, जालौर।
- 9 जिला कलक्टर, जालौर को प्रेषित कर लेख है कि श्री रमेश कुमार सोलंकी, अधिवक्ता को अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जालौर के पद पर कार्यग्रहण से पूर्व विधि एवं विधिक कार्य विभाग नियमावली 1999 के नियम 16 के तहत इनका घोषणा पत्र प्राप्त कर इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
- 10 कोषाधिकारी, जालौर।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी—प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

  
(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(16)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 13/9/21

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री सन्त कुमार, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं 0 आर/2371/08) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 17,640/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

३०  
(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर।
- 8 अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 9 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
- 10 कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी—प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

*Geni (3/9/21)*  
(हिमांकनी गौड़)  
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(31)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 13/9/21

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री सतीश कुमार शर्मा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/2854/05) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, निवाई जिला टोंक में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक निवाई जिला टोंक के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 17,640/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

५०

(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।
- 8 अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, निवाई जिला टोंक।
- 9 जिला कलक्टर, टोंक।
- 10 कोषाधिकारी, टोंक।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

66n  
13/9/21  
(हिमांकनी गौड़)  
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण